राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248013
ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

Letter No SHAUK/2020-21/SGHS Card/308 Dated: 29 July 2020

SGHS कार्ड बनाने हेतु फर्म सूचीबद्ध किये जाने हेतु विज्ञप्ति

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों हेतु लागू '' राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS)'' के अन्तर्गत समस्त कार्मिकों, पेंशनरों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों का SGHS कार्ड बनाया जाना है। इस कार्य के लिये अनुभवी फर्म/एजेन्सी को सूचीबद्ध किया जाना है।

SGHS कार्ड बनाने हेतु इच्छुक फर्म राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध किये जाने हेतु योजना की वेव साईट https://ayushmanuttarakhand.org में दिनांक 30.07.2020 से नियम एवं शर्ते डाउनलोड करते हुये, तकनीकी प्रस्ताव बनाकर धरोहर राशि सहित व्यक्तिगत या रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 10 अगस्त 2020 सायं 5 बजे तक कार्यालय में जमा करा सकते है।

इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना प्राप्त करने हेतु श्री धनेश चन्द्र, अधीशासी सहायक, मो0न0 9027199204 व श्री पंकज कुमार, आई0टी0 कम डाटा मैनेजर मो0न0 7500874874 अथवा योजना की ई–मेल आई0डी0 ayushmanuttarakhand@gmail.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण
उत्तराखण्ड

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248013
ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

SGHS कार्ड बनाने हेतु फर्म सूचीबद्ध किये जाने हेतु विज्ञप्ति

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों हेतु लागू '' राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS)'' के अन्तर्गत समस्त कार्मिकों, पेंशनरों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों का SGHS कार्ड बनाया जाना प्रस्तावित है।

राज्य के समस्त जनपद, तहसील,ब्लाक मुख्यालय तथा अन्य क्षेत्र में स्थित राजकीय कार्यालयों/कोषागार/उपकोषागारों में कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी। योजना के अन्तर्गत लगभग 3.50 लाख कार्मिकों/पेंशनरो एवं उनके आश्रित परिजनों के लगभग 10–12 लाख कार्ड बनाये जाने है।

उक्त कार्ड को Outsource के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क रू0 30/– (रू0 तीस मात्र) प्रति कार्ड की दर से बनाया जाना है।

इच्छुक फर्म/एजेन्सी जो कार्ड बनाने के कार्य करती है, निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार उक्त कार्य हेतु अपनी फर्म को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ सूचीबद्ध करा सकती है :–

1. SGHS कार्ड सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी (DDO) के माध्यम से राजकीय कार्यालयों /कोषागार/उप कोषागार में बनाये एवं वितरित किये जायेगे। कार्ड बनाने हेतु फर्म को साफ्टवेयर में SUB DDO LOGIN प्रदान किया जायेगा।
2. फर्म के पास निम्न विवरण के अनुसार न्यूनतम हार्डवेयर होना आवश्यक है:–
   - 10 कम्प्यूटर/ लैपटॉप विन्डो 10 के साथ।
   - 10 PVC कार्ड प्रिन्टर
   - 10 बायो मेट्रिक डिवाईज
   - 10 डोगल इन्टरनेट कनेक्टवटी हेतु
3. साफ्टवेयर फर्म को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
4. कार्य का सुचारू संचालन के लिए फर्म द्वारा अपेक्षित उपकरण एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन राजकीय कार्यालयों /कोषागार/उप कोषागार में उपलब्ध कराना होगा। कार्य संचालन हेतु स्थान, फर्नीचर बिजली इत्यादी की व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय द्वारा की जायेगी।
5. कार्ड PVC एच0डी0 प्रिटिंग का होगा जिसका प्रारूप राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा फर्म को उपलब्ध कराया जायेगा। कार्ड की प्रिंटिग दोनो तरफ की जानी होगी।
6. शासन से निर्धारित शुल्क रू0 30/–(रू0 तीस मात्र) प्रतिकार्ड की दर से, फर्म द्वारा कार्ड धारक से व्यक्तिगत् रूप से प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त फर्म को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण/राजकीय कार्यालयों/कोषागार/उपकोषागारों द्वारा अन्य कोई शुल्क (किसी भी प्रकार का) देय नहीं होगा। सूचीबद्ध फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक का समस्त व्यय जैसे यात्रा, ठहरने खाना आदि व्यय का वहन स्वयं करना होगा।

7. फर्म द्वारा रू0 50,000/– की धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/फिक्स डिपोजिट के रूप में **"Chief Executive Officer-SHA,** Uttarakhand payable at Dehradun के नाम से जमा की जायेगी। धरोहर राशि सफलता पूर्वक कार्य सम्पन्न कराने के पश्चात् वापिस कर दी जायेगी।
8. फर्म द्वारा कार्मिक/पेंशर्नस को वितरित किये गये कार्डो की प्राप्ति रसीद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. फर्मो को कार्ड बनाने का शेडयूल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सभी फर्मो को उक्त शेडयूल के आधार पर ही आवंटित कार्यालयों में कार्ड बनाने की कार्यवाही सम्पन्न करनी होगी। फर्म द्वारा शेडयूल के अनुसार काम न करने पर धरोहर की धनराशि को जप्त कर ली जायेगी।
10. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये उक्त कार्य को निरस्त कर सकता है।
11. इच्छुक फर्म प्रस्ताव बनाकर धरोहर राशि सहित व्यक्तिगत या रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 10 अगस्त 2020 सायं 5 बजे तक कार्यालय में जमा किया जायेगा।
12. इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना प्राप्त करने हेतु श्री धनेश चन्द्र, अधीशासी सहायक, मो0न0 9027199204 व श्री पंकज कुमार, आई0टी0 कम डाटा मैनेजर मो0न0 7500874874 अथवा योजना की ई–मेल आई0डी0 ayushmanuttarakhand@gmail.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248013
ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

SGHS कार्ड बनाने हेतु फर्म सूचीबद्ध किये जाने हेतु

फर्म का विवरण

1. फर्म/कम्पनी नामः...
2. पत्राचार पताः...
3. अधिकृत प्रतिनिधि का मोबाईल नम्बरः ....
4. GST संख्याः...
5. आयकर (PAN) संख्या..
6. फर्म के पास उपलब्ध उपकरण(विशेष विवरण सहित)
   - कम्प्यूटर/ लैपटॉप संख्या(विन्डोज 10 सहित)/मेक मॉडल(वर्ष).......................................
   - PVC कार्ड प्रिन्टर संख्या/ मेक मॉडल(वर्ष)/ ....
   - बायो मेट्रिक डिवाईज संख्या /मेक मॉडल(वर्ष)/ ....
   - इन्टरनेट कनेक्टवटी हेतु डोगल की संख्या...
   - उपलब्ध प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या..
7. फर्म द्वारा पिछली तीन वर्षो की आई0टी0आर0 भरा गया है (हॉ/नहीं).................................
8. फर्म द्वारा समान कार्य अनुभव (यदि कोई हो):..

ऊपर दी गयी जानकारी/सूचना मेरे संज्ञान में सही/सत्य है

मै.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.......................................

फर्म का नाम/पता...

यह घोषणा कराता/करती हूँ कि मुझे उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित सभी शर्ते स्वीकार है। यदि मै किसी भी कार्य को करने में असमर्थ रहता हूँ, जिसके फलस्वरूप यदि कोई विभागीय कार्यवाही फर्म के विरूद्व की जाती है, तो उसके लिए मै स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

दिनांक............................

फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

फर्म की मोहरः–